न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 151/2019 निर्णय दिनांक :– 28.11.19

उनवान

1. बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा जाति ब्राहौम्ण निवासी वार्ड न. 24 शितला माता तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, व 188, 92 ऐ राज0 टेनेन्सी एक्ट

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि तहसील चाकसू के कस्बा चाकसू पूर्व में आराजी खाता नं.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\Banwari vs sarkar.docx

418 के खसरा न. 157, 158, 160, 161, 308 लगायत 315 कुल किता 12 कुल रकबा 2.96 है0 व खाता संख्या 553 के खसरा नम्बर 125 लगायत 142, 159, 304, 307 कुल किता 21 कुल रकबा 2.88 है0 वादी को बद्री पुत्र गोविन्दा व बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा दोनो नामो से जाना जाता है जिसमे बादी के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मेडिकल डायरी बैक पासबुक आदि सम्पूर्ण दस्तावेज मे वादी का नाम बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा का नाम दर्ज है। वादी को घर पर बद्री पुत्र गोविन्दा के नाम के नाम से जाना जाता थां इसलिये राजस्व रिकॉड में वादी का नाम बद्री पुत्र गोविन्दा दर्ज हो गया उक्त गलती वादी के अनपढ होने के कारण दर्ज हुई है। वादी के सम्पुर्ण दस्तावेजों मे बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा दर्ज है इस कारण नाम में अन्तर आने की वजह से वादी को कानूनी अडचने आ रही है जबकि वास्तव मे बद्री पुत्र गोविन्दा व बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा दोनो नामो एक ही व्यक्ति है केवल नाम मे गलती रह गई है जिसको दुरस्त करवाया जाना आवश्यक व उचित है। दिनाक 26.6.2049 को के.सी.सी बनवाने हेतु जमाबन्दी प्राप्त की तो प्रथम बार ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी रिकोर्ड मे वादी का घर का नाम बद्री पुत्र गोविन्दा चला आ रहा है जबकि सम्पुर्ण दस्तावेजो मे बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा दर्ज है। इस दुरस्ती हेतु वादी ने प्रतिवादी को निवेदन किया तो उन्होने दिनाक 26.06.2019

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को इन्कार कर न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने हेतु कहा इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा अन्दर मियाद कानूनमियाद पेश है। दावा बहक वादीगण बिरूद्द प्रतिवादीगण घोषणा का डिग्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 1 में वादी का नाम बद्री पुत्र गोविन्दा की जगह बनवारी पुत्र गोविन्दा नाम से दुरस्त किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी से दिलवाया जावें । दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया। मुताबिक रांजस्व रिकार्ड जमाबंदी चाकसू पूर्व में खसरा नं0 157, 158 वगैराह किता–12 रकंबा 2.96 है0, खसरा नं0 125, 126 वगैराह किता 21 रकंबा 2.88 है0 में बद्री पुत्र गोविन्दा जाति ब्राहमण सा0 देह दर्ज है संख्या 2 के कम में प्रार्थी के पहचान दस्तावेज जैसे राशन. कार्ड भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि में बनवारी लाल पुत्र गोविन्दा दर्ज है। मद संख्या 3 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। शेष कानूनी है मद संख्यों 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। मंद संख्या 10(क) से 10(ग) मांननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी की बहस दावा सुनी गयी तो वकील वादी ने जवाब सरकार अनुसार वादी का नाम दुरूस्त करने व दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया। दावे के समर्थन में वादी ने ग्राम चासकू पूर्व की जमाबंदी सवंत 2073–76 खाता संख्या 418, 553, भामाशाह कार्ड, पेन्शन कार्ड, राशन कार्ड, मेडिकल डायरी, बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो वादी को बद्री पुत्र गोविन्द व बनवारीलाल पुत्र गोविन्दा दोनो नामो से जाना जाता है, वादी का सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज में राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड पेंशन मेडिकल डायरी बैंक पासबुक आदि सम्पूर्ण दस्तावेज में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र गोविन्दा नाम से दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में बद्री पुत्र गोविन्दा दर्ज है जो जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार नाम शुद्ध दर्ज किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता नं. 418 के खसरा न. 157, 158, 160, 161, 308 लगायत 315 कुल किता 12 कुल रकबा 2.96 है0 व खाता संख्या 553 के खसरा नम्बर 125 लगायत 142, 159, 304, 307 कुल किता 21 कुल रकबा 2.88 है0 भूमि वाके ग्राम चाकसू पूर्व तहसील चाकसू में वादी का नाम बद्री पुत्र गोविन्दा के स्थान पर बद्री उर्फ बनवारीलाल पुत्र गोविन्दा शुद्ध किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: